

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

सेवा में,

Consultant (Judicial),
Hon'ble National Green Tribunal,
New Delhi.

संख्या-728 / तीस-खनन / 2022-23 दिनांक फरवरी 01, 2024

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-78/2023 दुर्गा सिंह पवार एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह दफौटी एवं अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त मामलें में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी (तेजम), जनपद पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत 17.967 है0 भूमि पर मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, बी0-54 जज फार्म, छोटी मुखानी हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के पक्ष में स्वीकृत सोपस्टोन पट्टा क्षेत्र के सम्बन्ध में विचाराधीन मूल आवेदन संख्या-78/2023 दुर्गा सिंह पवार एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह दफौटी एवं अन्य में दिनांक 13.12.2024 को निम्न आदेश पारित किया गया थे :-

-5. Respondent no. 5 is directed to file additional reply and the Joint Committee is directed to file additional report regarding compliance with the same within one month through E-filing portal (not through E- mail) in the form of searchable PDF/OCR Support PDF (not in the form of Image PDF).
6. List for further consideration on 02.02.2024.
7. Since due compliance is yet to be made by respondent no. 5, till further orders to the contrary respondent no. 5 is restrained from carrying out any further mining activity in the mining site leased out to it.
8. The District Magistrate and the Superintendent of Police Pithoragarh are also directed to take appropriate steps to ensure that no further mining take place in the mining site in question.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों क्रम में प्रतिवादी संख्या-05 पट्टाधारक मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 राजेन्द्र सिंह दफौटी द्वारा पट्टाक्षेत्र के सम्बन्ध में पूर्व में गठित समिति द्वारा सुझाये गये कार्यों के सम्बन्ध में पट्टाक्षेत्रान्तर्गत कृत कार्यों/अनुपालन दिनांक 22.01.2024 को उपलब्ध कराया गया, जिसमें क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुरूप समिति द्वारा दिनांक 25.01.2024 को पट्टाक्षेत्र ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी (तेजम), जनपद पिथौरागढ़ का निरीक्षण किया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या/सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 31.01.2024 की प्रति मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संज्ञानार्थ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न-उक्तानुसार।

भवदीया,



(रीना जोशी)

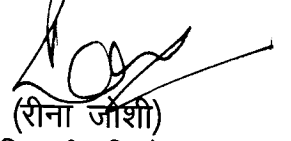
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

—2—

संख्या एवं तिथि उक्तवत्।

प्रतिलिपि Shri Rahul Verma, Additional Advocate General, State of Uttarakhand, Hon'ble Supreme Court of India, 137, Tower No. 10, New Delhi. को समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या/सत्यापन रिपोर्ट की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त मामले में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के क्रम में आख्या/शासकीय पक्ष दाखिल करवाने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि श्री राहुल नेगी, जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, पिथौरागढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त मामलों में अपर महाधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली से समन्वय स्थापित कर मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में नियत समयान्तर्गत शासकीय पक्ष/अनुपालन आख्या दाखिल करवाना सुनिश्चित करें।



(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

संयुक्त जांच आख्या

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी (तेजम), जनपद पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत 17.967 है0 भूमि पर मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, बी0-54 जज फार्म, छोटी मुखानी हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के पक्ष में स्वीकृत सोपस्टोन पट्टा क्षेत्र के सम्बन्ध में विचाराधीन मूल आवेदन संख्या-78/2023 दुर्गा सिंह पवार एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह दफौटी एवं अन्य में दिनांक 13.12.2023 को निम्न आदेश पारित किया गया थे :-

-5. Respondent no. 5 is directed to file additional reply and the Joint Committee is directed to file additional report regarding compliance with the same within one month through E-filing portal (not through E- mail) in the form of searchable PDF/OCR Support PDF (not in the form of Image PDF).
6. List for further consideration on 02.02.2024.
7. Since due compliance is yet to be made by respondent no. 5, till further orders to the contrary respondent no. 5 is restrained from carrying out any further mining activity in the mining site leased out to it.
8. The District Magistrate and the Superintendent of Police Pithoragarh are also directed to take appropriate steps to ensure that no further mining take place in the mining site in question.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों क्रम में प्रतिवादी संख्या-05 पट्टाधारक मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 राजेन्द्र सिंह दफौटी द्वारा पट्टाक्षेत्र के सम्बन्ध में पूर्व में गठित समिति द्वारा सुझाये गये कार्यों के सम्बन्ध में पट्टाक्षेत्रान्तर्गत कृत कार्यों/अनुपालन दिनांक 22.01.2024 (अनुलग्नक-01) को उपलब्ध कराया गया।

तत्कम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुरूप गठित समिति द्वारा दिनांक 25.01.2024 को पट्टाक्षेत्र ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी (तेजम), जनपद पिथौरागढ़ का निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के दौरान प्रतिवादी राजेन्द्र सिंह दफौटी (पट्टाधारक) उपस्थित नहीं थे। जांच के दौरान ग्राम प्रधान श्रीमती भावना देवी उपस्थित थी। संयुक्त जांच आख्या में निम्न अधिकारी उपस्थित थे।

1. उप जिलाधिकारी, मुनस्यारी।
2. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, पिथौरागढ़।
3. सहा0 वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी।

उक्त के अतिरिक्त निम्न अधिकारी उपस्थित रहे :-

1. तहसीलदार, तेजम।
2. राजस्व निरीक्षक, बांसबगड़।
3. राजस्व उप निरीक्षक, बांसबगड़।
4. बन वीट अधिकारी, वन विभाग।

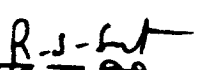
निरीक्षण के दौरान पट्टाधारक द्वारा पट्टाक्षेत्र में किये गये कार्यों/अनुपालन की स्थिति निम्नवत् पाई गई :-

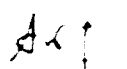
मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 06.09.2023 एवं दिनांक 13.12.2023 के अनुपालन में पट्टा क्षेत्र ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी (तेजम), जनपद पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत खनन/निकासी कार्य प्रतिबन्धित किया गया है। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य बन्द पाया गया। (अनुलग्नक-02)

प्रतिवादी संख्या-05 की अनुपालन आख्या दिनांक 22.01.2024 के अनुसार पट्टा क्षेत्र में वृक्ष रोपित किये जाने के सम्बन्ध में पत्र संख्या-470/तीस-खनन/2022-23 दिनांक दिसम्बर 20, 2023 के द्वारा स्वीकृत सोपस्टोन के खनन पट्टा क्षेत्र के आस-पास वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध वन पंचायत की भूमि पट्टाधारक/प्रतिवादी संख्या-05 को उपलब्ध कराते हुए सम्बन्धित वन पंचायत के सरपंच एवं वन क्षेत्राधिकारी की देख-रेख में वृक्षारोपण कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ को निर्देशित किया गया। निरीक्षण के समय वन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के आस-पास वृक्षारोपण हेतु वन पंचायत की भूमि को पट्टाधारक/प्रतिवादी संख्या-05 को उपलब्ध कराये जाने हेतु भूमि चयन की कार्यवाही की जा रही है। भूमि चयन उपरान्त वृक्षारोपण किया जायेगा। (अनुलग्नक-03)

2. खनन से पूर्व में निस्तारित मलवे को प्रतिवादी संख्या-05 द्वारा रोकने के लिये पूर्व में ढालदार भू-भाग में सीडीनुमा आकार के विभिन्न स्तरों में तारयुक्त 14 दीवारों का निर्माण किया गया था, जिनकी औसतन लम्बाई 3.60 मी०, चौड़ाई 0.70 मी० एवं ऊँचाई 1.30 मी० पाई थी। समिति द्वारा सुझाये गये उपायों के अनुरूप प्रतिवादी संख्या-05 द्वारा स्थल पर निस्तारित मलवों को रोकने के लिए पूर्व निर्मित दीवारों के ऊपर 01 अतिरिक्त जालीनुमा तारयुक्त सुरक्षा दीवार का निर्माण किया गया है, जिसकी लम्बाई 39.00 मी०, चौड़ाई 1.30 मी० एवं ऊँचाई 1.50 मी० औसतन पाई गई। उपरोक्त के अतिरिक्त समिति द्वारा पूर्व में सुझाये गये उपायों के अनुरूप पट्टाधारक/प्रतिवादी संख्या-05 द्वारा एक अन्य स्थान पर भी मलवे को ढालदार भू-भाग में गिरने से रोकने हेतु सुरक्षा दीवार का निर्माण किया गया है, जिसकी लम्बाई 35.00 मी०, चौड़ाई 1.40 मी० एवं ऊँचाई 1.50 मी० औसतन पाई गई। इस प्रकार स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप निस्तारित मलवों को ढालदार भू-भाग में गिरने से रोकने हेतु निर्मित दीवार उचित प्रतीत होती है। (फोटोग्राफ अनुलग्नक-04)

जांच में पाये गये उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी संख्या-05 मै० जे०डी० मिनरल्स प्रो० श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, निवासी बी०-54 जज फार्म छोटी मुखानी, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल द्वारा पट्टाक्षेत्र में पूर्व में खनन से निस्तारित मलवों को रोकने हेतु सुरक्षा दीवार का निर्माण किया गया है तथा पट्टाक्षेत्र के समीप वन पंचायत क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए रोपित वृक्षों की सुरक्षा एवं देख-रेख की जानी होगी। संलग्न-उक्तानुसार।

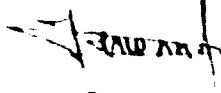

राजेश उप निरीक्षक
बांसबगड


सहायक वैज्ञानिक अधिकारी
यू०के०पी०सी०बी० हल्द्वानी।


ग.क.सिंह
910-यांशवगड।


तहसीलदार
तेजम।


उप जिलाधिकारी,
मुनस्यारी।


वन बीट अधिकारी
वन विभाग, पिथौरागढ़।


खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
पिथौरागढ़।

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदया,

पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड।

विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-78/2023 दुर्गा सिंह पवार एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह दफौटी एवं अन्य में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 13.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में उत्तर।

महोदया,

सविनय निवेदन इस प्रकार है कि आपके कार्यालय के पत्रांक संख्या -1686/तीस-खनन/2022-23 दिनांक दिसम्बर 23, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें (संलग्न है) जिसके अनुपालन में आपके निर्देशानुसार रिट्रेनिंग वॉल की ऊंचाई बढ़ा दी गयी है एवं नयी दीवार का निर्माण कर दिया गया है। उपरोक्त ग्रामवासियों के क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कर दी गयी है।

महोदया, आपके निर्देशानुसार वृक्षारोपण का जो कार्य होना था जिस हेतु आपके द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग को लिखित माध्यम से दिसम्बर 20, 2023 को वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध वन पंचायत की भूमि पट्टा धारक को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था जो आज तक भी वन विभाग द्वारा पंचायत की भूमि उपलब्ध नहीं करायी गयी है जिसके लिये हमारे द्वारा दिनांक 20.1.2024 को एक पत्र प्रभागीय वनाधिकारी, को दुबारा से दिया गया था

कि हमे भूमि उपलब्ध करायी जाये जिससे कि हम वृक्षारोपण का कार्य जल्द से जल्द पूरा कर सके और हमारी अनुपालना पूरी हो पाये।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

दिनांक-22.1.2024

प्रार्थी,


मै० जे०डी० मिनरल्स
प्रो० श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी,
बी०-54 जज फार्म, छोटी मुखानी
हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़, वन प्रभाग।
2. श्रीमान जिला खान अधिकारी, भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग, पिथौरागढ़।



कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
संख्या-1686/तीस-खनन/2022-23 दिनांक दिसम्बर 23, 2023

मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौरी,
बी0-54 जज फार्म, छोटी मुखानी हल्द्वानी,
जनपद नैनीताल।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-78/2023 दुर्गा सिंह पवार एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह दफौरी एवं अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 13.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या-469/तीस-खनन/2022-23 दिनांक दिसम्बर 20, 2023 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में गठित समिति द्वारा दिनांक 18.11.2023 को पट्टाक्षेत्र ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी (तेजम), जनपद पिथौरागढ़ के निरीक्षण की आख्या/सत्यापन रिपोर्ट प्रेषित करते हुए समिति द्वारा सुझाये गये उपायों के अनुरूप तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन से अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

इस सम्बन्ध में उपरोक्त मामले में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिनांक 13.12.2023 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं :-

-3. Verification Report has been filed by the Joint Committee vide email dated 07.12.2023
4. We find that in the Verification Report the Joint Committee has made some recommendations which are yet to be complied with.
5. Respondent no. 5 is directed to file additional reply and the Joint Committee is directed to file additional report regarding compliance with the same within one month through E-filing portal (not through E- mail) in the form of searchable PDF/OCR Support PDF (not in the form of Image PDF).
6. List for further consideration on 02.02.2024.

अतः कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों तथा इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक 20.12.2023 के द्वारा की गई अपेक्षानुसार पट्टाक्षेत्र ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी (तेजम), जनपद पिथौरागढ़ के सम्बन्ध में समिति द्वारा सुझाये गये उपायों के अनुरूप तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन से इस कार्यालय को अवगत करायें।

(5)
(डॉ० एस०के० बरनवाल)
अपर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
2. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, मुनस्यारी।
3. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, पिथौरागढ़।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी।

(5)
(डॉ० एस०के० बरनवाल)
अपर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

आदेश

मै० जे०डी० मिनरल्स प्रो० श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, निवासी बी०-५४ जज फार्म छोटी मुखानी, हल्द्वानी, जनपद पिथौरागढ़ के पक्ष में ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी, जनपद पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत १७.९६७ है० भूमि पर स्वीकृत सोपस्टोन के खनन पट्टे के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-७८/२०२३ दुर्गा सिंह पवार एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह दफौटी एवं अन्य में मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिनांक ०६.०९.२०२३ को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं :-

..... In view of the mandate in Section 20 of the National Green Tribunal Act, 2010 requiring this Tribunal to apply precautionary principle and serious environmental violations alleged to have been made by the respondent no. 5, respondent no. 5 is restrained till further orders from carrying out any further mining activity in the mining site leased out to it.

The District Magistrate and the Superintendent of Police, Pithoragarh are also directed to take appropriate steps to ensure that no further mining takes place in the mining site in question.

अतः मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में मै० जे०डी० मिनरल्स प्रो० श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, निवासी बी०-५४ जज फार्म छोटी मुखानी, हल्द्वानी, जनपद पिथौरागढ़ के पक्ष में ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी, जनपद पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत १७.९६७ है० भूमि पर स्वीकृत सोपस्टोन के खनन पट्टे में खनन/निकासी कार्य अग्रिम आदेशों तक प्रतिबन्धित किया जाता है।

उप जिलाधिकारी, मुनस्यारी एवं जिला खान अधिकारी, पिथौरागढ़ यह सुनिश्चित करेंगे के उक्त खनन स्थल पर अग्रिम आदेशों तक किसी प्रकार का खनन/निकासी कार्य न होने पावे।

दिनांक सितम्बर १९, २०२३


(रीना जोशी)

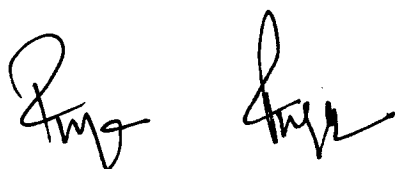
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
पत्रांक ७८७९ दिनांक १९.११.२३

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
संख्या-२३५८/तीस-खनन/२०२२-२३ दिनांक सितम्बर १९, २०२३

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़।
२. उप जिलाधिकारी, मुनस्यारी।
३. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, पिथौरागढ़।
४. मै० जे०डी० मिनरल्स प्रो० श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, निवासी बी०-५४ जज फार्म छोटी मुखानी, हल्द्वानी, जनपद पिथौरागढ़।




(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
संख्या- 485/तीस-खनन/2022-23 दिनांक दिसम्बर 23, 2023

1. उप जिलाधिकारी, मुनस्यारी।
2. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, पिथौरागढ़।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-78/2023 दुर्गा सिंह पवार एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह दफौटी एवं अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 13.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक कृपया इस कार्यालय के आदेश संख्या-2358/तीस-खनन/2022-23 दिनांक सितम्बर 19, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उपरोक्त मामलें में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, निवासी बी0-54 जज फार्म छोटी मुखानी, हल्द्वानी, जनपद पिथौरागढ़ के पक्ष में ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी, जनपद पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत 17.967 है0 भूमि पर स्वीकृत सोपस्टोन के खनन पट्टे में खनन/निकासी कार्य अग्रिम आदेशों तक प्रतिबन्धित किया गया है।

इस सम्बन्ध में उपरोक्त मामलें में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिनांक 13.12.2023 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं :-

.....3. Verification Report has been filed by the Joint Committee vide email dated 07.12.2023.

4. We find that in the Verification Report the Joint Committee has made some recommendations which are yet to be complied with.
5. Respondent no. 5 is directed to file additional reply and the Joint Committee is directed to file additional report regarding compliance with the same within one month through E-filing portal (not through E- mail) in the form of searchable PDF/OCR Support PDF (not in the form of Image PDF).
6. List for further consideration on 02.02.2024.
7. Since due compliance is yet to be made by respondent no. 5, till further orders to the contrary respondent no. 5 is restrained from carrying out any further mining activity in the mining site leased out to it.
8. The District Magistrate and the Superintendent of Police Pithoragarh are also directed to take appropriate steps to ensure that no further mining take place in the mining site in question.

अतः कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश एवं इस कार्यालय के संदर्भित आदेश दिनांक 19.09.2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, निवासी बी0-54 जज फार्म छोटी मुखानी, हल्द्वानी, जनपद पिथौरागढ़ के पक्ष में ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी, जनपद पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत 17.967 है0 भूमि पर स्वीकृत सोपस्टोन के खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत खनन/निकासी कार्य प्रतिबन्धित रखवाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(डॉ0 एस0के0 बरनवाल)

अपर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़।
2. पट्टाधारक मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, निवासी बी0-54 जज फार्म छोटी मुखानी, हल्द्वानी, जनपद पिथौरागढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में खनन पट्टा क्षेत्र में खनन/निकासी कार्य प्रतिबन्धित रखना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 एस0के0 बरनवाल)

अपर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
पत्रांक 1686 दिनांक 23/12/23

कार्यालय
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
पत्रांक 1614 दिनांक 20/11/23

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
संख्या- 470 / तीस-खनन / 2022-23 दिनांक दिसम्बर 20, 2023

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-78/2023 दुर्गा सिंह पवार एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह दफौटी एवं अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 31.10.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

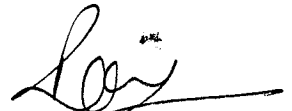
उपरोक्त मामलें में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी (तेजम), जनपद पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत 17.967 है0 भूमि पर मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, बी0-54 जज फार्म, छोटी मुखानी हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के पक्ष में स्वीकृत सोपस्टोन पट्टा क्षेत्र के सम्बन्ध में विचाराधीन मूल आवेदन संख्या-78/2023 दुर्गा सिंह पवार एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह दफौटी एवं अन्य में दिनांक 31.10.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये थे :-

.....'Additional reply be filed by the respondent no. 5-Project Proponent on or before 10.11.2023 and a copy thereof be sent to the District Magistrate, Pithoragarh and concerned District Mining Officer, Regional Officer, UKPCB who shall on receipt thereof verify the compliance by the Project Proponent and submit report to this Tribunal on or before 25.11.2023 by way of email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of Searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में गठित उपरोक्तानुसार समिति द्वारा दिनांक 16.11.2023 को पट्टाक्षेत्र ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी (तेजम), जनपद पिथौरागढ़ का निरीक्षण किया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या/सत्यापन रिपोर्ट में उल्लिखित किया गया है कि प्रश्नगत पट्टाक्षेत्र के समीप वन पंचायत की भूमि पर नियमानुसार शर्तों के अनुरूप वृक्षारोपण कर उचित प्रकार रख-रखाव/देखभाल किये जाने हेतु पट्टाधारक के प्रतिनिधि को मौके पर निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में पट्टाधारक मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, बी0-54 जज फार्म, छोटी मुखानी हल्द्वानी, जनपद नैनीताल द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 22.11.2023 प्रस्तुत करते हुए वृक्षारोपण हेतु खनन पट्टा क्षेत्र के समीपस्थ वन पंचायत की भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में उक्त आवेदन पत्र दिनांक 22.11.2023 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, बी0-54 जज फार्म, छोटी मुखानी हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम बजेता, तहसील मुनस्यारी (तेजम), जनपद पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत सोपस्टोन के खनन पट्टा क्षेत्र के आस-पास वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध वन पंचायत की भूमि पट्टाधारक को उपलब्ध कराते हुए सम्बन्धित वन पंचायत के सरपंच एवं वन क्षेत्राधिकारी की देख-रेख में वृक्षारोपण कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न-उक्तानुसार।

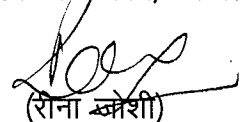

(रीना जोशी)

2 जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, मुनस्यारी।
2. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, पिथौरागढ़।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी।
4. पट्टाधारक मै0 जे0डी0 मिनरल्स प्रो0 श्री राजेन्द्र सिंह दफौटी, बी0-54 जज फार्म, छोटी मुखानी हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।




(रीना जोशी)

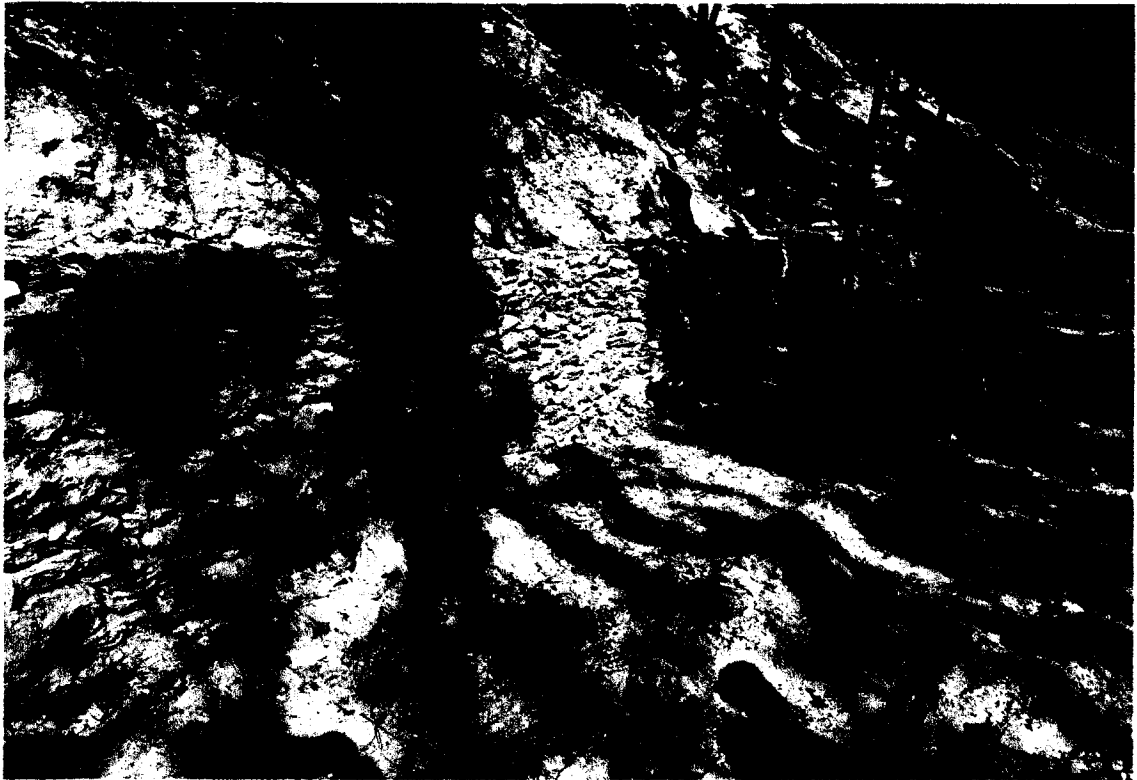
2 जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।



Page



Ping



Q
4mg